समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शाखा)

श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 23-06-2014 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

अनुपस्थित पदाधिकारी :-

1-अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा, 2-जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा, 3-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा, 4-जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा, 5-जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा, 6-श्रम अधीक्षक, मधेपुरा, 7-जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा, 8-जिला अभियंता, जिला परिषद्, मधेपुरा, 9-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, उदाकिशुनगंज, 10-श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मुरलीगंज, 11-अनुज्ञापन पदाधिकारी, मधेपुरा, 12-कार्यपालक अभियंता, पुल निगम, मधेपुरा, 13-वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा, 14-जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा 15-सहायक अभियंता, दूरभाष, मधेपुरा 16-अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा एवं 17-कार्यपालक अभियंता, काडा, मधेपुरा बैठक से अनुपस्थित पाये गये।

समीक्षा के क्रम में बैठक से बिना किसी पूर्वानुमति /सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप निम्नांकित पदाधिकारियों का उनके नाम के सामने अंकित तिथि का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया :-

क्र0	पदाधिकारी का पदनाम	दिनांक	अभ्युक्ति
1	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज	23-06-2014	
2	अनुज्ञापन पदाधिकारी, मधेपुरा /सहरसा	23-06-2014	
3	कार्यपालक अभियंता, पुल निगम, मधेपुरा /सहरसा	23-06-2014	
4	वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा	23-06-2014	
5	जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा	23-06-2014	
6	सहायक अभियंता, दूरभाष, मधेपुरा	23-06-2014	

सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अधोहस्ताक्षरी से स्वीकृति प्राप्त किये बगैर मुख्यालय किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे।

(अनुपालन-कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी)

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

(2) स्वास्थ्य चेक-अप शिविर :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आज क्रिश्चियन मिशन अस्पताल, मधेपुरा एवं सिविल सर्जन, मधेपुरा के सौजन्य से ब्लड डोनेशन तथा स्वास्थ्य चेक-अप संबंधी शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुफ्त स्वास्थ्य चेक-अप कराया जायेगा तथा अपने स्वेच्छा से जो लोग ब्लड सेम्पल करना चाहते हैं, कर सकते हैं।

(अनुपालन-सिविल सर्जन, मधेपुरा)

(3) ग्रामीण विकास अभिकरण :-

❖ मनरेगा :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आज उप विकास आयुक्त, मधेपुरा द्वारा 6,186 मस्टर रौल के भुगतान 15 दिन से अधिक दिनों तक लंबित रहने एवं 18318 Persondays का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं होने के उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में जांच-पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-उप विकास आयुक्त, मधेपुरा)

❖ जीविका :-

बताया गया कि सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-189042, दिनांक- 20-06-2014 द्वारा "जीविका" के स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण हेतु 'मेगा क्रेडिट कैम्प" के आयोजन के संबंध में निदेश दिया गया है। बताया गया कि जिला स्तर पर जुलाई महीने से लगातार तीन महीनों में क्रमशः दिनांक 23 जुलाई, 23 अगस्त एवं 23 सितम्बर, 2014 को 'मेगा क्रेडिट कैम्प' बैंकों की सहभागिता से आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को निदेश दिया गया कि विभागीय निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिवित करें। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से कार्रवाई किया जाए।

(अनुपालन- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/उप विकास आयुक्त, मधेपुरा)

❖ मनरेगा अन्तर्गत खेल मैदान का निर्माण :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना तथा सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-160694, दिनांक-22-08-2013 एवं पत्रांक-189051 दिनांक- 20-06-2014 द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत खेल मैदानों को 02 अक्टूबर, 2014 को होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में पारित करने के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव रखने का निदेश दिया गया है। बताया गया कि प्रत्येक गांव में एक खेल का मैदान बनाये जाने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है। अतः विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची तैयार कर लिया जाए, जिससे कि उक्त तिथि को होने वाली ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा जा सके। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाए।

(अनुपालन- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा/उप विकास आयुक्त, मधेपुरा)

❖ इंदिरा आवास योजना द्वारा किये गये कार्यो का मूल्यांकन (रैंक) का निर्धारण :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-188607, दिनांक-17-06-2014 द्वारा इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में जिला द्वारा किये गये कार्यो के मूल्यांकन के बाद रैंक का निर्धारण संबंधी प्रतिवेदन संलग्न स्तम्भों को अपडेट कर मंतव्य दिनांक 24-06-2014 तक विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि उक्त प्रतिवेदन अविलम्ब विभाग को भेजा जाए।

(अनुपालन- उप विकास आयुक्त, मधेपुरा)

(4) गृह रक्षकों का वेतन भुगतान :-

समीक्षा के क्रम में जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मधेपुरा की खोज की गयी, जो अनुपस्थित पाये गये। बताया गया कि गृह रक्षकों का वेतन भुगतान दो-तीन महिने से नहीं किया

गया है, जो खेद का विषय है। जिला समादेष्टा को निदेश दिया जाता है कि गृह रक्षकों का वेतन भुगतान अविलम्ब किया जाए तथा अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए।

(अनुपालन–जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मधेपुरा)

(5) निर्वाचन :–

बताया गया कि लोकसभा आम चुनाव, 2014 के अवसर पर जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मधेपुरा द्वारा गृह रक्षकों को मुहैया कराये गये अग्रिम राशि को वापस कर दिया गया है, परन्तु अभी भी उनके द्वारा ली गयी अग्रिम राशि वापस नहीं की गई है। वापस करने हेतु पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से अनुरोध किया जाए।

इसी प्रकार कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा तथा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा भी निर्वाचनोपरान्त व्यय किए गए राशि का हिसाब–किताब तथा संबंधित व्यय प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण उक्त मद में हुये व्यय के भुगतान तथा राशि के समायोजन में कठिनाई हो रही है। सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि लिए गए अग्रिम के संबंध में व्यय का प्रतिवेदन जिला निर्वाचन को भेज दिया गया है। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि रैण्डमली जांच कर फोटोयुक्त प्रतिवेदन दें। बताया गया कि यदि फोटो नहीं है, तो उसका भुगतान नियमानुसार एवरेज के आधार पर किया जायेगा। उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में अविलम्ब कार्रवाई करें।

(अनुपालन–कार्य0अभि0,पी0एच0ई0डी0/भवन /जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मधेपुरा /उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा)

(6) मुरलीगंज आवासीय छात्रावास का हस्तानान्तरण :–

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति /जनजाति आवासीय बालिका विद्यालय का छात्रावास की जांच कर जांच प्रतिवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भवन लगभग पूर्ण हो चुका है। जांच प्रतिवेदन में उन्होंने उल्लेख किया है कि छत से पानी चू रहा था, बाथरूम में कुछ कार्य बांकी है एवं दीवार पर भद्दी गालियॉं लिखी हुई है। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त कार्य को अविलम्ब करते हुए एक सप्ताह के अन्दर भवन हस्तानान्तरण करावें तथा अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश का आवासीय भवन, जो खाली पड़ा है, के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से एक अनुरोध पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा को भेजा जाए कि उनके लिए आवास को वे सिफ्ट करें तथा जिस आवास में रहते हैं, वह भवन प्रमण्डल, मधेपुरा का है, यदि वे इसमें रहना चाहते हैं, तो रह सकते हैं परन्तु उनके लिए निर्मित भवन को वापस कर दिया जाए, ताकि जिला स्तर के पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता /अपर समाहर्त्ता, आपदा को आवंटित किया जा सके।

(अनुपालन–जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्य0अभि0, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा)

(8) अनुपालन प्रतिवेदन :–

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सोमवारीय बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, किन्तु कुछ पदाधिकारी यथा– जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मधेपुरा तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराया गया है, जो अच्छी बात है।